

स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

बिहार सरकार
अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग
सं०-1/अनु०जा०/जनजा०पुस्तक अधि०-14-63-01/12-15

प्रेषक,
सरकार के सचिव।
सेवा में,
महालेखाकार
वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

पटना, दिनांक-08/05/2026

विषय:- वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मद से बिहार के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के छात्र/छात्राओं के लिये नये अभियंत्रण, पोलिटेकनिक, कृषि, पशु चिकित्सा, चिकित्सा महाविद्यालयों, प्राक् परीक्षा केन्द्रों एवं चन्द्रगुप्त प्रबंध संस्थान, पटना के अंतर्गत संचालित स्टुडेंट्स राईडेन्स सेंटर तथा डॉ० अम्बेडकर कल्याण छात्रावासों में आवश्यकतानुसार पुस्तक अधिकोष की स्थापना हेतु अनु० जनजाति के लिये ₹6.00 लाख (छः लाख रु०) मात्र की राशि की स्वीकृति।
आदेश-स्वीकृति।

2- अनुसूचित जनजाति के लिये कुल भारित व्यय की राशि ₹6.00 लाख (छः लाख रु०) वर्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय अन्तर्गत मांग संख्या-44 में आय व्यय मुख्य शीर्ष "2225- अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों का कल्याण-उपमुख्य शीर्ष-02-अनुसूचित जन जातियों का कल्याण-लघु शीर्ष-277-शिक्षा-उपशीर्ष-0001-छात्रवृत्तियां और वृत्तियां- विषय शीर्ष-0001. 13.01-कार्यालय व्यय-विपत्र कोड सं०-44-2225022770001 के अन्तर्गत विकलनीय है।

3- इस राशि की निकासी के लिये निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी विवरणी प्रत्येक माह विभाग को भेजेंगे। संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी व्यय

4- संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी राशि की निकासी एवं व्यय आवंटनादेश तथा वित्त विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र सं०-2561 दिनांक-17/04/98 तथा समय-समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में करेंगे।

5- यह आदेश आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त कर निर्गत किया जा रहा है।

6- सभी संबंधित पदाधिकारियों को इस राशि के स्वीकृति की सूचना दी जा रही है।

7- कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय।

बिहार के राज्यपाल के आदेश से
सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1/अनु०जा०/जनजा०पुस्तक अधि०-14-63-01/12-15 पटना, दिनांक-08/05/2026
प्रतिलिपि-वित्त विभाग, बजट शाखा/सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ निदेशक, अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/संयुक्त सचिव, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सभी संबंधित जिला पदाधिकारी/ सभी संबंधित उपविकास आयुक्त/ सभी संबंधित उपनिदेशक कल्याण/सभी संबंधित जिला कल्याण पदाधिकारी/सभी संबंधित महाविद्यालयों के प्राचार्यों/संबंधित निदेशक, प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र/लेखा शाखा, अनु०जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग/सांख्यिकी कोषांग अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/प्रशाखा पदा० बजट शाखा अनु०जाति एवं अनु०जनजाति कल्याण विभाग/आई० टी० मैनेजर, अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के सचिव।

ज्ञापांक-1/अनु०जा०/जनजा०पुस्तक अधि०-14-63-01/12-15 पटना, दिनांक-08/05/2026
प्रतिलिपि- सभी संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
सरकार के सचिव।